ISSN2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume- 5 |Issue- 11 |August - 2016

Review Of Research

राजनीतिक अपराधीकरण का प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव

डॉ० अंजीत कुमार चौधरी
बी०ए०, एम० ए० (राजनीति विज्ञान), पी–एच० डी०
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

सचमुच, राजनीति के अपराधीकरण का तीव्र प्रक्रिया ने गुजरे दशको से सारी दुनिया को कुछ ज्यादा ही दहशतजदा करना शुरू कर दिया है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में भी हत्यारी राजनीति का संस्कृति नंगे ढंग से काबिज होती चली गयी। राजनीति का अपराधीकरण जब चरम पर पहुंचने लगा तो उग्रवाद का नया अध्याय देश में तेजी से शुरू हुआ। इसलिए देश के विभिन्न प्रांतों में उग्रवादी संगठनों का जोर बढ़ने लगा। उत्तर–पूर्वी प्रांतों में जहां नार्थ–ईस्ट ट्रायबल फोर्स तथा उल्फा, एनएससीएन सरीखे संगठन उभरे तो वहीं जम्मू–कश्मीर में जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, फ्री कश्मीर मिलिट्री और जम्मू–कश्मीर लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी संगठनों का जोर लगातार बढ़ता ही गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ दिसंबर 1989 से अप्रैल 1990 तक की घटनाओं का मात्र नमूने के लिए जायजा लें तो पता चलेगा कि देश में आतंकवादी गतिविधियों ने किस तरह भयंकर ढंग से सिर उठाया। 8 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह को केन्द्रीय सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ० रूबिया सईद को श्रीनगर में उग्रवादियों ने इसलिए उठा लिया था ताकि जेल में बंद कुछ खूखार अपराधियों को बिना शर्त, वे रिहा करवा सकें। आखिरकार केंद्रीय गृहमंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए वीपी सिंह की सरकार को 12 दिसंबर 1989 को पांच उग्रवादियों को जेल से छोड़ना पड़ा था। तब जाकर डॉ० रूबिया को अपहर्ताओं ने छोड़ा था। 18 दिसंबर 1989 को पंजाब में कुछ वरिष्ट पुलिस अधिकारियों सहित आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान उग्रवादियों द्वारा मौत की नींद सुला दिए गए। फिर तुरंत 24 दिसंबर 1989 को पंजाब के आतंकवादियों ने 15 लोगों को मार गिराया। इस घटना के ठीक चार दिन बाद यानी 28 दिसंबर 1989 को तत्कालीन अकाली दल सांसद जगदेव सिंह खुड्डियां का अपहरण आतंकवादियों ने कर लिया। 1990 के जनवरी माह में भी देश में हालात कमोबेश ऐसे ही रहे। ऐन पहली जनवरी 1990 को श्रीनगर में आतंकवादियों के दल ने कई दफ्तरों को एक साथ बम से उड़ा डाला था। फिर 2 जनवरी 1990 को भी श्रीनगर में आतंकवादियों ने जमकर बमबारी की थी। और उसी 2 जनवरी 1990 को पंजाब में अपहृत अकाली सांसद जगदेव सिंह खुड्डियां की लाश बरामद हुई। 7 जनवरी 1990 को दिल्ली में संसद भवन के द्वार संख्या दो पर बम विस्फोट कर आतंकवादियों ने एक तरह से केन्द्र सरकार को खुली चेतावनी दी थी। इस बीच पंजाब से लेकर कश्मीर में कई लोमहर्षक वारदातें तो हुई ही, 15 जनवरी 1990 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राघवेन्द्र रेड्डी की हत्या आंध्रप्रदेश में आंध्र के नक्सलियों ने कर दी। फिर 24 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय वायु सेना के चार जवान उग्रवादियों द्वारा मार डाले गए। 29 जनवरी 1990 को पंजाब प्रदेश भाजपा के महासचिव गुरूबचन सिंह पतंगा का खून हो गया। 12 फरवरी 1990 को श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक कौल का खून हो गया। 19 फरवरी 1990 को कोहिमा में नागालैण्ड के कांग्रेसी मुख्यमंत्री एससी जमीर पर आतंकवादियों द्वारा जोरदार हमला किया गया पर के बालबाल बच गए। इसके पहले भी जमीर पर इसी तरह का हमला हुआ था। 8 मार्च 1990 को पंजाब के तरनतारन में उग्रवादियों ने दस लोगों को मार दिया। 9 मार्च 1990 को श्रीनगर में चार

खुफिया अधिकारी अपहृत कर लिए गए। 14 मार्च 1990 को कश्मीर के प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री रहे स्व0 शेख अब्दुल्ला के घर में आगजनी कर दी गयी। यहीं नहीं 24 मार्च 1990 को बुजुर्ग कश्मीरी कम्युनिस्ट नेता अब्दुल सत्ता रजोर ओर होमगार्ड के उप–पुलिस अधीक्षक गुलाम हसन मार डाले गए। इसी तरह पूर्व विधायक मुस्तफा की जान गयी। 27 मार्च 1990 को श्रीनगर जेल से 12 उग्रवादी जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। 9 अप्रैल 1990 को कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर उल हक ओर एचएमटी के महाप्रबंधक एचएल खेड़ा का खून उग्रवादियों ने कर दिया।श 1990 के दिनों में प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने एक राष्ट्रीय पत्रिका को अपने साक्षात्कार में पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद की समस्या को लेकर माकूल टिप्पणी की थी। खुशवंत सिंह का कहना था कि पंजाब की उग्रवादी समस्या सिखों के 'आईडेंटिटी क्राइसिस' की समस्या है। वहीं कश्मीर समस्या के मूल कारण का विश्लेषण करते हुए खुशवंत सिंह का कहना था कि–ष्कश्मीर की समस्या पंजाब से अलग हटकर है। कश्मीर में तो 1947 के बाद यानी आजादी के बाद से ही मुश्किलें शुरू हो गयी थी। इस दौर में कश्मीर में सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कश्मीर के दिग्गज नेता शेख अब्दुल्ला को ग्यारह वर्षों तक जेल में बंद रख कर की गयी थी। कश्मीर में लोकतंत्र कभी ठीक से पनप ही नहीं सका।

क्षेत्रीयता की कुत्सित राजनीति का देश पर प्रभाव

खतरा भीतर से था, जिसे बाहरी देशों से भी भारत में हवा दी जा रही थी। अलगाववादी राजनीति ने पंजाब, कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड सबको तबाह किया।

आईडेंटिटी क्राइसिस के नाम पर चली क्षेत्रीयता की कुत्सित राजनीति ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। बोफोर्स, फेयरफैक्स से लेकर हर्षद मेहता का स्कैम स्कैंडल देश के सामने एक बड़े घोटाले के रूप में चर्चित होता रहा पर इससे भी संगीन समस्या अलगाववादी राजनीति की थी, जिससे देश निरंतर छलनी होता गया। पंजाब की ही समस्या लें। खुशवंत सिंह ने इसे सिखो के श्आईडेंटिटी क्राइसिसश की संज्ञा दी। पर इस समस्या को परखने के लिए ब्रिटिश शासन काल मे हमें लौटना होगा। ब्रिटिशों ने धर्म के आधार पर उन दिनों समय–समय पर जनगणना करवायी थी। उन दिनों पंजाब के जनगणना आयुक्तों को पंजाब के सिखों और हिन्दुओं में फर्क करने में सुनियोजित असुविधा महसूस हुई थी। लिहाजा 1891 की जनगणना में उनलोगों ने कहा कि सिख वही है जो खालसा है। यानी गुरू गोबिन्द सिंह द्वारा स्थापित अध्यादेश का अनुयायी। इस तरह 1901 की दूसरी जनगणना तक आते–आते पंजाब के उन जैनियों और उन सिखों के साथ समस्या खड़ी हो गई जो अपनी पहचान हिन्दू से अलग करने को सहमत नहीं थे। अंततः उस बार की जनगणना में ऐसे जैनी और सिख 'जैन–हिन्दू' और 'सिख–हिन्दू' के रूप में दर्ज किए गए। 1931 में फिर इस नीति ने खतरनाक करवट ली। इस बार साफ–साफ कहा गया कि कोई सिख–हिन्दू के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। या तो कोई अपने को सिर्फ हिन्दू दर्ज कराए या सिर्फ सिख। 'सिख हिन्दू' का मामला अब नहीं चलेगा।

खुशनुमा ठंडे प्रदेश हिमाचल की राजनीतिक आबोहवा भी कभी–कभार तल्ख होती ही रही है। जिन दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वीरभद्र सिंह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान हिमाचल की घाटी के अंतर्गत स्थित दादासीबा नामक एक मामूली से रजवाड़े से संबंद्ध रही राजनी भाग्यवती ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह पर आरोप लगाया था कि वीरभद्र ने उनसे शारीरिक संबंध रखा था। हालांकि वीरभद्र सिह ने उस समय सफाई दी थी कि राजनीति रूप से विकृत उनके विपक्षियों ने उनका चरित्र हनन करने के लिए रानी भाग्यवती जैसी अभद्र महिला को अपना मुहरा बनाया है।

आंध्रप्रदेश में पीपुल्सवार ग्रुप का प्रभाव

आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार के दौरान कांग्रेसी विधायक वागावीति मोहन रंगाराव की हत्या का प्रकरण भी कम सुर्ख नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश की अधिकांश सरकारों को पीपुल्सवार ग्रुप वालों की उग्रवादी गतिविधियों ने लगातार त्रस्त किए रखा था। आंध्रपद्रश के निवासी पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज हुए तो आंध्र प्रदेश में उनके परिवारजनों पर भी पीपुल्सवार ग्रुप की ओर से खतरा अचानक बढ़ गया था। नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनते ही पीपुल्सवार ग्रुप वालों ने उनके गांव वंगारा में धावा कर दिया था और ग्रामीणों को ताकीद की थी कि राव के खेत में काम करने का अंजाम बुरा होगा। पीपुल्सवार ग्रुप के नक्सलियों का आरोप था कि प्रधानमंत्री के परिवार के पास उनके गांव वंगारा में अभी भी बेहिसाब जमीन है और यह भूमि सुधार कानून का सरासर मजाक है। जाहिर है, देश में आजादी के बाद से भूमि सुधार कानून को कारगर करने के प्रति शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों की उदासीनता ने भी अपराध को बढ़ावा दिया। चाहे भूमि सुधार के सवाल पर उग्र रूख अख्तियार किए बैठे आंध्र के नक्सली हों या बिहार के नक्सली, सब भूमि सुधार के मुद्दों को

लेकर भीषण आक्रामक तेवर अपनाये हुए थे। सत्ता में काबिज जमींदार पृष्ठभूमि के राजनीतिज्ञों को कमोबेश आंध्र से लेकर बिहार जैसे प्रांत तक विभिन्न नक्सली गुटों ने यह आभास दिलाना तेज कर दिया था कि भूमि सुधार कानून को अब वे लोग ज्यादा दिनों तक अपनी गद्दी के नीचे दाब कर नहीं बैठे रह सकते है।

असम भी अलगाववादी–उग्रवादी राजनीति आंदोलन से लगातार त्रस्त रहा। बोडो तथा उल्फा उग्रवादियों ने असम के जनजीवन को लंबे समय तक तबाह किए रखा। असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के भाई की हत्या, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उद्योगपति स्वराजपाल के भाई सुरेन्द्रपाल की असम में हुई हत्या जैसी वारदातों से असम के जनजीवन की कथा रंगी पड़ी, सिहरी हुई है। 1991 में जब हितेश्वर सैकिया ने असम में फिर अपनी कांग्रेसी सरकार जिस दिन गठित की ऐन उसी दिन सैकिया की सरकार पर उग्रवादी तत्वों ने भारी वजपात किया था। पहली जुलाई 1991 के उस दिन सरकार के एक वरिष्ट आईएएस अधिकारी, ओएनजीसी के अभियंता जिनमें एक रूसी अभियंता भी शामिल था, का अपहरण उल्फा नामक उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों ने कर लिया था। अपहृत रूसी अभियंता सर्गेई ग्रिचिंको की हत्या भी उग्रवादियों ने अपहरण के बाद कर डाली थी। सत्ता में दोबारा आते ही उग्रवादियों से त्रस्त हो चुके मुख्यमंत्री सैकिया ने उसी समय घोषणा की थी कि अगर उल्फा उग्रवादी रास्ते पर आने को तैयार हों तो वे उन सबों को सरकार की तरफ से आम माफी देने के लिए तैयार है पर सैकिया की इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ था। आखिरकार, इस विषम स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने असम में कुछ पहले चलाये जा चुके आपरेशन बजरंग की तरह उल्फा उग्रवादियों के सफाये के लिए ऑपरेशन राइनों की घोषणा की थी। आपरेशन राइनों के सैन्य अभियान से असम में उल्फा उग्रवादियों की गतिविधियों पर थोड़ा लगाम लग सका। इस आपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री सैकिया ने कहा था कि उल्फा की गतिविधियों को भारत के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत देखा जाना चाहिए जो भारत विरोधी विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए कर रही है। सैकिया का दावा था कि उल्फा उग्रवादियों की कैम्प शाखाएं अरसे से बंग्लादेश में चल रही हैं और वहां से पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका तथा थाईलैंड से भी इन लोगों का संपर्क बना रहता है। सैकिया का कहना था कि कश्मीर तथा पंजाब के उग्रवादियों से भी इनके संपर्क बने हुए थे। 1991 के दिनों में मध्यप्रदेश के तत्कालीन भाजपाई मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा सहित मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेसी दिग्गज श्यामा चरण शक्ल ने भी कहा था कि आंध–प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश तक में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के शविदेशी लिंकश हैं, जो भारत में अराजकता लाने के लिए तत्पर हैं। 1991 के दिनों में ही मध्यप्रदेश में इंदौर पुलिस ने पंजाब के दो कुख्यात उग्रवादियों माधो सिंह और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। इन दो उग्रवादियों पर आरोप था कि ये नरसिंह राव सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चाह्वाण की पुत्री स्नेहलता पाटिल का अपहरण करने स्नेहलता के महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित निवास पर गए हुए थे। सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के कारण ये दोनों उग्रवादी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके और भाग कर सीधे इंदौर चले आए थे। उस दिन अगर ये उग्रवादी स्नेहलता को उठा लेने में सफल हो जाते तो देश के गृहमंत्री की पुत्री के अपहरण की यह दूसरी घटना हो जाती।

गुजरात और कर्नाटक सरीखे प्रांत भी आपराधिक राजनीतिक से कम आक्रांत नहीं रहे है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण दंगे के सिलसिले में शातिर अपराधी अब्दुल लतीफ का नाम किसी से छिपा नहीं रहा था। बाद में उसी अब्दुल लतीफ ने जब अहमदाबाद नगरपालिका के चुनाव में पांच सीट से एक साथ नामांकन दाखिल किया था तो पांचों सीट पर उसकी जीत हुई थी। पर सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जनमस्थल पोरबंदर राजनीतिक संरक्षण में चल रहे गुंडा–गिरोहों के खुनी टकरावों को लेकर अकसर सुरखियां बनता रहा है। दलबदल करने में महारथी गुजरात के राजनीतिक दिग्गज चिमन भाई पटेल सर्वप्रथम 1973 में गुजरात के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। उनके भ्रष्ट शासनकाल में अपराधी तत्वो को जमकर शह मिलती रही थी। वही चिमन भाई सोलह वर्षों की सुदीर्घ अवधि के बाद फिर जनतादल सरकार के मुख्यमंत्री बनकर आए और अंततः दल बदलते–बदलते वे फिर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। विभिन्न प्रांतों में दलबदल की राजनीतिक विडंबना ने भी राजनीति में अपराधी तत्वों के रूतबे को बढ़ाया। हरियाणा, गुजरात आदि प्रांत तो इसके प्रमुख उदाहरण हैं द्य राजनीतिक हत्याओं का प्रकरण बिहार की तरह गुजरात में भी घटित होने लगा। 9 अक्टूबर 1992 को अहमदाबाद में गुजरात के पुराने कांग्रेसी नेता रऊफ वाली उल्लाह का दिनदहाड़े खून हो गया था। रऊफ की हत्या के बाद अटकलों का दौर गर्म था। राजनीतिक तीरंदाजों का कहना था कि रऊफ वलीउल्लाह मुख्यमंत्री चिमन भाई के कारनामें के विरूद्ध एक वृहद ज्ञापन तैयार कर कांग्रेस आलाकमान को दो दिन बाद ही दिल्ली जाकर देने वाले थे कि उसके पूर्व वे जान से हाथ धो बैठे। कुछ लोंगों का यह भी मानना था कि रऊफ की हत्या में अहमदाबाद के शातिर अपराधी सरगना अब्दुल लतीफ का हाथ था।

बहरहाल, जो भी हो, गुजरात में कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह की यह राजनीतिक हत्या प्रथम राजनीति हत्या की घटना नहीं थी। सत्य–अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के गृह प्रदेश गुजरात में इसके पहले भी गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके वल्लभ भाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे अशोक भोगीलाल पटेल, विधायक पोपटलाल सोराठिया, भीमाजी भाई कालावाड़िया आदि राजनीतिक हत्या के शिकार हो चुके थे। और यह सिलसिला थमनेवाला भी नहीं था। अक्टूबर 1992 में रऊफ वलीउल्लाह के खून के बाद गुजरात के राजकोट राजघराने के वारिस और पूर्व कांग्रेसी मंत्री मनोहर सिंह जाडेजा पर भी अपराधियों ने धावा किया था। पर उस फायरिंग में किसी तरह मनोहर सिंह जाडेजा बच निकले थे। उल्लेखनीय है कि मनोहर सिंह भी चिमन विरोधी कांग्रेसी नेता थे, जो चिमन भाई के खिलाफ अकसर शिकायत लेकर दिल्ली जाते रहे थे। क्षुब्ध मनोहर सिंह जाडेजा ने अपने ऊपर हमले के बाद कहा था– ''गुजरात भी बिहार बनता जा रहा हैं।'' राजनीति में अपराधियों का दबदबा कर्नाटक में भी लगातार लहराता रहा। कर्नाटक के दंगों को लेकर एक मंत्री सीएम इब्राहिम अकसर चर्चित होते रहे थे। कर्नाटक का पड़ोसी प्रांत महाराष्ट्र तो बंबई के कुख्यात माफिया डॉनों और दिग्गज राजनीतिज्ञों के रिश्तों को लेकर सदैव तड़पता रहा। महाराष्ट्र के उल्हासनगर के कांग्रेसी विधायक पप्पू कालानी से लेकर महाराष्ट्र के वसई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक हितेन्द्र ठाकुर तक के रिश्ते बंबई के कुख्यात डॉनों से तो रहे ही, अनगिनत हत्याओं में इन विधायकों का नाम जगजाहिर था। हालांकि 5 दिसंबर 1992 को विधायक हितेन्द्र ठाकुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन उसने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक एस राममूर्ति को साफ कहा– ''देख लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।'' भारत की मायानगरी बंबई में साधरण कुली से शुरू हुए मिर्जाहाजी मस्तान जैसे लोग सोने की तस्करी के दम पर अरबों–खरबों में खेलने लगे थे। बंबई में इन सोने के तस्करों, डॉनों के उदय को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की स्पष्ट मान्यता थी कि भारतीय वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने देश में सोने के नियंत्रण का जो निर्णय लिया, उसी दिन से बंबई में युसूफ पटेल, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदालियार और सुकुर नारायण बखिया जैसे तस्कर तेजी से फलते–फूलते गए। जैसे धनबाद में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से सूर्यदेव सिंह जैसे कोयला खदानों के पहलवान कुबेर बन गए, उसी तरह देश में स्वर्ण नियंत्रण संबंधी मोरारजी भाई के निर्णय ने बंबई में इन डॉनों को रातोंरात खड़ा कर दिया। आपातकाल के बाद जब जनतापार्टी की हुकमत आयी तो राजनीतिक कैदियों के संग–संग अनगिनत शातिर अपराधी सरगना भी जेल से छोड़ दिए गए थे। लिहाजा, कुछ समय के लिए ठहरा हुआ अपराध फिर जमकर जोर पकड़ गया था। 1980 में आकर महाराष्ट्र के अपराधी तत्व अब बड़ी–बड़ी इमारतों के निर्माता बनकर राजनीतिक संरक्षण में कारोबार फैलाने लगे ओर बंबई फिर से दाऊद इब्राहिम, आलमजेब, महेश ढोलकिया, रमाकांत नाईक, अमीरजादा, समदखान आदि शातिर अपराधियों का अभयारण्य बन गया। जिस बंबई पुलिस की पूरे देश में अपनी कार्यशैली को लेकर प्रतिष्ठा थी, वहीं बंबई पुलिस राजनीति दबावों के कारण इन अपराधियों को चुप बैठी देखने को विवश होती गयी। छठे दशक के बाद से ही बंबई में अपराधियों के तेज उभार ने पुलिस को निरीह बना दिया था। हाजी मस्तान जैसे कुख्यात तस्कर राजनीतिकदृसामाजिक कार्यों के बहाने पूरे देश मे विचरण करने लगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तान ने काफी पैसे अपनी कथित सामाजिक कार्यक्रम की यात्राओं पर खर्च किए। 1993 में बंबई में एकबार फिर श्मशान की सी स्तब्धता छा गयी थी। 12 मार्च 1993 को बंबई में भीषण बम विस्फोटों ने कहर मचाकर रख दिया था। दरअसल, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने की घटना के बाद से ही बंबई में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण तेजी से बनता गया था। 6 जनवरी 1993 से बबई बकायदे दंगे की चपेट में आ गया। इस समय सुधाकर नाइक मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व में दंगा नियंत्रित नहीं होता देख, मुख्यमंत्री पद से सुधाकर नाइक को हटाकर कांग्रेस आलाकमान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद से शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बंबई की स्थिति को काबू करने भेजा था कि अचानक 12 मार्च 1993 को बंबई में भीषण अनियंत्रित बमबारियों ने फिर से प्रदेश की सत्ता में आकर बैठे मुख्यमंत्री शरद पवार को भी दहला कर रख दिया था। बंबई के हादसे का षड्यंत्र करनमें में बंबई निवासी मेमन परिवार के दो भाइयों इस्माइल उर्फ टाइगर मेमन और याकूब मेमन का नाम आया था। ये दोनों भाई बंबई में बम विस्फोट के एक दिन पूर्व ही दुबई भाग गए थे और फिर दुबई से पाकिस्तान। कहते हैं, बंबई के इस हादसे में दुबई में बैठकर बंबई के अंडरवर्ल्ड को लगातार संचालित करनेवाले कुख्यात डॉन और तस्कर दाउद इब्राहीम का हाथ था। बंबई विस्फोट के सिलसिले में पकड़े गये कुख्यात डॉन रूसी पठान के संबंध मध्यप्रदेश के कांग्रेसी दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल से होने की बात काफी सुरखियों में आयी थी। बंबई के इस भीषण विस्फोट के क्रम में जारी धरपकड़ में बंबई से कांग्रेसी सांसद रहे अभिनेता सुनील दत्त के अभिनेता पुत्र संजय दत्त को एके–56 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, कई रोमांचक तथ्य सामने आये जिससे साबित होता था कि बंबई के फिल्म

जगत का बीते वर्षों में किस तरह अपराधीकरण हुआ है और बंबई फिल्म जगत की बागडोर दाउद इब्राहीम जैसे तस्करों के हाथ में है। कलकत्ता बम विस्फोट के सूत्रधार –षड्यंत्रकारी राशिद खान के बारे में पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों का आरोप था कि राशिद वाममोर्चा सरकार का अर्से से पालतू अपराधी सरगना रहा था।

29 मई 1993 को महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना के विधायक 40 वर्षीय रमेश शंकर मोरे की हत्या तब हो यगी थी जब वे लंबई के अंधेरी स्थित अपने घर आ रहे थे। विधायक रमेश मोरे की हत्या के ठीक दो दिन बाद ही यानी 1 जून 1993 को महाराष्ट्र विधान सभा के तेज तर्रार भाजपा विधायक 47 वर्षीय प्रेम कुमार शर्मा का भी खून हो गया। लगातार दोनों विधायकों की हत्या को लेकर जाहिर था, सनसनी मच गयी थी। इन हादसों के कुछ ही पहले बंबई में मुस्लीम लीग के एक पूर्व विधायक जियाउद्दीन बुखारी का खून हो गया था। एक राष्ट्रीय दैनिक ने उस समय अपने संपादकीय में लिखा था– ''बंबई के विधायकों की हत्या का एक और पहलू भी है। उसका रिश्ता राजनीति के अपराधीकरण की उस प्रक्रिया में राजनीतिक को माध्य बनाकर अपराधी तत्वों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने के साथ–साथ अपराधी तत्वों की मदद से राजनीतिक स्वार्थो की सिद्धि की कथा भी जुड़ी हुई है। जहां तक बंबई का प्रश्न है, राजनीति और अपराध के रिश्तों की परतें चार साल पहले शिवसेना पार्षद सतीश खोपकर की हत्या के साथ खुलनी शुरू हुई थी। उसके एक साल बाद ही शिवसेना के ही एक और पार्षद विनायक वाबले की हत्या हुई थी। वर्ष 1992 मार्च में शिवसेना के एक विधायक विट्ठल चव्हाण को मार दिया गया था और फिर शिवसेना के ही एक और पार्षद खीम बहादुर थापा गोलियों के शिकार हुए थे।''

निष्कर्ष :

सचमुच, हालात बद से बदतर होते गए। देश के लगभग सभी प्रांतों को राजनीति के अपराधीकरण ने इतनी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपराध और उग्रवाद के बीच देश के लोग घुटने को विवश होते गए। गोवा जैसे छोटे से प्रांत को भी इस रोग ने नहीं छोड़ा। एक जहाज कंपनी में कभी मामूली मुलाजिम रह चुके चर्चिल अलेमाओं जो बाद मे गोवा की सत्ता में भी आए पर अपराध के बेशुमार घृणित मामले दर्ज थे। अपहरण, मुठभेड़, जमीन–कब्जा सरीखे अनगिनत आरोप अलेमाओं पर चलते रहे थे। स्थिति संचमुच रोंगटे खड़े करने वाली थी। नेशनल क्रइम रिकार्ड ब्यूरो के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में अपरध की स्थिति गुजरे वर्षों से अत्यंत ही संगीन होती गयी है। बेतहाशा बढ़ते जा रहे अपराध पर परदा डालने के लिये सताधारियों ने कई नुस्खे कारगर ढंग से आजमाये। भारत के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों को यह सख्त हिदायत दी गयी कि वे अपराध सूची को सदैव नियंत्रित ढंग से प्रस्तुत किया करें। लिहाजा, अपराध का आंकड़ा घटा कर दिखाने के लिए पुलिस वाले प्राथमिकी दर्ज करने से कतराने लगे। राज्य सरकारें इसलिए सदैव तत्पर रहीं कि उनके प्रांत में अपराध की घटनाएं लोगों की नजर में उजागर नहीं हों। पुलिस वाले भी इस स्थिति का जमकर दुरूपयोग करने लगे। प्राथमिकी दर्ज करने के लिये वे खुलेआम पैसे लेने लग गए। राजनीति ने हिंसा के विभिन्न नुस्खों को आजमा कर समाज को लगातार अपराधग्रस्त करना जारी रखा और साथ ही समाज की सांस्कृतिक चेतना को भी खत्म करने की मुहिम तेज रखी। पहली जनवरी 1989 को देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की हत्या इस सिलसिले में उल्लेखनीय है। पत्रकारिता भी हत्यारी राजनीतिक–संस्कृति के तीखे वार रह–रह कर झेलती रही। अपनी तारीफ करवाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों के नेताओं ने अपना अखबार निकालने का भी सिलसिला चलाया। इस तरह घटनाएं और उदाहरण अनंत हैं।

भारत में राजनीतिक अपराधिकरण का प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव इस तरह व्याप्त हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को अवरूद्ध कर दिया है। हिंसा की घटनाओं में अधिकांशतः इन्हीं का हाथ रहता है। प्रशासनिक तंत्र को ये इतना प्रभावित किए हुए रहते हैं कि किसी अपराधिक घटना में इनका नाम आने पर भी कोई आंच नहीं आ पाता है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

संदर्भ स्रोत :

1. ब्रेचा, माइकेल : पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया, ऐन एनेलिसिस ऑफ इलीट ऐटीच्यूड्स, न्यायार्क, 1969 पृ0 –12
2. भार्गवा, जी. एस. : पॉलिटिक्स करप्शन इन इंडिया, पॉपुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, 1967 पृ० – 36–42
3. भार्गवा, जी. एस. : ऑफ्टर नेहरू, इंडिया न्यू इमेज, एलॉयड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1966 पृ0 –28–32
4. भीखू, पारिख (एडीटेड) एंड बर्की, आर0 एन0 : दी भोरेलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1972 पृ0–52–57

5. बख्शी, उपेन्द्र : दी इंडियान सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 1980 पृ0–45–48
6. बख्शी, उपेन्द्र : ऑन दि शेम ऑफ नाइट बीडंग इन एक्टिविस्ट थाट ऑन जूडिशियल एक्टीविज्म, इंडियन बार रिब्यू, वॉल्यू0–2 (3), 1984 पृ0–71–74
7. बसु, डी0 डी0 : लिमिटेड गवर्नमेंट एंड ज्यूडीशियल रिव्यू एस0 सी0 सरकार एंड सन्स, कोलकाता, 1972 पृ0–53–58
8. बेल, जॉन : पॉलिसी ऑर्ग्युमेन्ट्स इन ज्यूडीशियल डिसीजन्स, क्लेरेन्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1983 पृ0–22–27
9. ब्रोगेन, डी0 डब्ल्यूल रू पॉलिटिक्स एंड लॉ इन दि यूनाईटेड स्टेट्स यूनीवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1994 पृ0–64–69
10. कानोलो, ई0 विलियम : पॉलिटिक्स एंड ऐम्बीगुइटी, दि युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रेस, 1967 पृ0–68–70
11. कार्डोजो, बी0 : दि नेयर ऑफ ज्येडीशियल प्रासेस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, हेवेन, 1921 पृ0 –73–76
12. कॉक्स, आर्चीबाल्ड : दि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका गवर्नमेंट क्लेरेन्डॉन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ0–42–47
13. दास, बी, सी. : इंडियन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ0–18–25
14. दास, बी, सी. : पॉलिटिक्स डेवलपमेन्ट इन इंडिया य आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1978 पृ0 –76–80
15. दास, डॉ0 एच0 एन0 रू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998 पृ0 –91–97